राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2008–2009

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	3
अध्याय – 2	आयोग का वित्तीय स्वरूप	8
अध्याय – 3	आयोग का कार्यक्षेत्र	9
अध्याय – 4	कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम	20
अध्याय – 5	आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंषाऐं व अन्य मुख्य गतिविधियां	25
अध्याय – 6	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	35
अध्याय – 7	वर्ष 2008–09 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	37

अध्याय – 1 – संगठन व शक्तियाँ

I. राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

II. आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/WCD/46 दिनांक 15–04–2006 के अनुसार तृतीय आयोग की संरचना निम्नानुसार हैः

श्रीमती तारा भण्डारी	:	अध्यक्ष
श्रीमती सुषमा चौधरी	:	सदस्य
श्रीमती आरती शर्मा	:	सदस्य
श्रीमती सुधा जाजोरिया	:	सदस्य
श्रीमती द्रोपदी मलिक	:	सदस्य सचिव

III. आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण

(अ) अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
निजी सचिव	1
वरिष्ठ निजी सहायक	1
कनिष्ठ लिपिक	1
निजी सहायक	1
योग :–	4

(ब) सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
सदस्य सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
योग :–	4

(स) पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत
रजिस्ट्रार	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
कनिष्ठ लेखाकार	1
वरिष्ठ लिपिक	2
कनिष्ठ लिपिक	7
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9
योग :–	21

(द) उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

नाम पद	स्वीकृत
उप–सचिव	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1
योग :–	2

इसके अतिरिक्त राज्य महिला आयोग में युनीसेफ व यूएनएफपीए एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय सहयोग से क्रमशः सुरक्षित मातृत्व इकाई, परिवार परामर्श केन्द्र एवं परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र संचालित किए जा रहे है जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्नलिखित हैः–

(य) सुरक्षित मातृत्व इकाई कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
सहायक	1
योग :–	3

(र) परिवार परामर्श केन्द्र

नाम पद	स्वीकृत
परामर्शदाता	2
योग :–	2

(ल) यू.एन.एफ.पी.ए. के सौजन्य से संचालित परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र नेटवर्किंग परियोजना (30 जून 2008 तक)

नाम पद	स्वीकृत
समन्वयक	1
योग :–	1

IV. आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। धारा 14 खण्ड (2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधानमण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

V. आयोग की शक्तियाँ

अधिनियम की धारा 10 में विस्तृत रूप से आयोग की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 10, खण्ड (1) के अनुसार आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त हैं। यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले में कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है, वहां आयोग राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने की और अभियोजन प्रारम्भ करने की

सिफारिश कर सकता है। धारा 12 खण्ड (4) के अनुसार आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य सरकार उन पर विनिश्चय करने व आयोग को उसकी सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करने का अधिकार है। धारा 13 के अनुसार, अन्वेषण पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति ने दाण्डिक अपराध किया है, सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आयोग अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, हिंसा व उत्पीड़न की अनेकानेक घटनाओं पर अंकुश लगा पाने व प्रभावी रूप से अपने महत्त्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर पाने की दृष्टि से अधिनियम द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियां अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए यह शक्तियां आयोग के लिए महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करेंगी व आयोग के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि केरल के बाद राजस्थान ही देश का दूसरा राज्य है जिसमें राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार की महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

VI. राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

VII. महिला नीति की क्रियान्विति

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 08 मार्च, 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई। राज्य महिला नीति की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

अध्याय – 2 आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। आयोग में कार्यरत जेण्डर प्रकोष्ठ के खर्चे हेतु यूनिसेफ द्वारा तथा परिवार परामर्श केन्द्र के लिए एन.आर.एच.एम. व यूएनएफपीए के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2008–2009 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

Income & Expenditure Statement for the Year 2008-2009

S. No.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	35,59,950.32		
	(i) At Donation A/c 69,414.98		1. Commission Expenditure	90,66,010.00
	(ii) NCW - 11,795.00		2. Unicef Expenditure	9,62,296.00
	(iii)Unicef- 2,34,388.00		(i) Exp. 9,26,674/-	
	(iv) N.R.H.M. 3,90,798.00		(ii) Refund to Unicef 35,622./-	
	(v) UNFPA 4,342.00			
	7,10,737.98			
	(vi) Commission :-			
	P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 15,74,283.00			
	P.D.A/c No.122 - 6,30,281.00			
	Cash at Bank 6,44,299.34			
	Cash in Hand 349.00			
	28,49,212.34			
2.	**Receipt**			
	(i) State Government	1,06,00,000.00	1. Assistance to needy women	15,100.00
	(ii) Unicef	7,28,625.39	2. NRHM	3,18,234.00
	(iii) NRHM	4,46,160.00	3. UNFPA	1,63,092.00
	(iv) UNFPA	1,58,750.00	4. **Closing Balance**	50,17,203.73
			(i) Unicef 717.39	
			(ii) NRHM 5,18,724.00	
			(iii) NCW 11,795.00	
			(iv) UNFPA Nil	
			5,31,236.39	
			(v) Commission :-	
			P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 15,74,283.00	
			P.D.A/c No.122 - 22,08,995.00	
			Cash at Bank 7,01,716.34	
			Cash in Hand 973.00	
			44,85,967.34	
3.	Bank interest on SB A/c	19,659.00		
4.	Bank int. on Donation Bank A/c	2,201.00	At Donation A/c	56,515.98
5.	Tender form	250.00		
6.	Nakal Charges	4,142.00		
7.	Int. on PD A/c	78,714.00		
8.	Raddi Sales (Old News Paper etc.)	-		
	Total	**1,55,98,451.71**	**Total**	**1,55,98,451.71**

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लेखों का निरीक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 3 आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो, लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– दहेज, दहेज के कारण क्रूरता, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन् 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद में दिए गए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना एवम् दिशा–निर्देशो के अनुसार समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाना।
- गम्भीर मामलों में घटना स्थल पर जाकर जांच करना।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपसी बातचीत द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है।

राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण के लिए अपने कार्यक्षेत्र को पांच प्रकोष्ठों में बांट कर कार्य कर रहा है। जिसकी विस्तृत कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है।

3.1 सुरक्षित मातृत्व इकाई :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व

इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस ईकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग जैण्ड़र समानता, अधिकार के साथ सुरक्षित मातृत्व, सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि का कार्य किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व इकाई आयोग के कार्यक्षेत्र व निर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व विभागों से समन्वय करती है और उन्हें महिला सशक्तीकरण, जैण्डर समानता व सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित करती है। यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है क्योंकि ऐसी उत्पीडित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो उन महिलाओं की आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित करता है और यथा सम्भव उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

सुरक्षित मातृत्व इकाई के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है।

अ – महिला जनसुनवाई

उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (i) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। महिला सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित इन महिला जनसुनवाईयों का आयोजन आयोग द्वारा यूनीसेफ, राजस्थान से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और

शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाईयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ राजस्थान, सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी रहती है।

जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र की निर्धारित आयोजक संस्था (स्वयंसेवी संगठन अथवा जिला महिला विकास अभिकरण) द्वारा पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणो की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के भी प्रयास किये जाते है। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 में श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व करौली जिले में जाकर जनसुनवाई की गई वहां से प्राप्त प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

श्रीगंगानगर (10 अप्रैल, 2008)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण श्रीगंगानगर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 10.04.2008 को श्रीगंगानगर में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें अपहरण 1, हत्या 2, हिंसा 6, पेंशन 14, भूमिविवाद 3, अन्य 8 व जननी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित 1 प्रकरण प्राप्त हुए जिन

पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

जालौर (13 मई, 2008)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा उप निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण जालौर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 13.05.08 को जालौर में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 80 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें दहेज क्रूरता 2, हत्या 4, द्विविवाह 3, भरण पोषण 3, हिंसा 14, पेंशन 26, भूमि विवाद 2, यौन उत्पीडन 2, स्थानान्तरण 1 एवं अन्य 23 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

पाली (02 जुलाई, 2008)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, पाली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 02.07.08 को पाली में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 38 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें बलात्कार 1, द्विविवाह 4, भरण पोषण 6, हिंसा 4, पेंशन 16, भूमि विवाद 2 एवं अन्य 5 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

जोधपुर (20 अगस्त, 2008)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 20.08.08 को जोधपुर में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 51 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें दहेज क्रूरता 3, धमकी 1, द्विविवाह 2, भरण–पोषण 6, हिंसा 9, पेंशन 10, भूमि विवाद 4 एवं अन्य 16 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

बाड़मेर (26 अगस्त, 2008)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा श्योर संस्थान बाडमेर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 26.08.08 को बाडमेर में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 61 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें

दहेज क्रूरता 4, धमकी 3, भरण–पोषण 5, हिंसा 14, पेंशन 3, भूमि विवाद 15 एवं अन्य 17 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

करौली (25 फरवरी, 2009)

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ तथा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण करौली के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 25.02.2009 को करौली में सुरक्षित मातृत्व विषय पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 41 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें दहेज क्रूरता 1, बलात्कार 2, धमकी 1, द्विविवाह 3, भरण–पोषण 4, हिंसा 5, सम्पत्ति विवाद 2, यौन उत्पीड़न 1, स्थानान्तरण 5, पेंशन 8 व अन्य 9 प्रकरण प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही करने हेतु जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिये गये।

राज्य महिला आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 में जिला स्तर पर की गई महिला जनसुनवाई में कुल 306 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 128 प्रकरण निस्तारित किये जा चुके है और 178 प्रकरणों पर शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला स्तरीय महिला जागरूकता शिविर

राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के सफल संचालन व प्रकरणों के निस्तारण के दौरान यह महसूस हुआ कि महिला सशक्तीकरण हेतु व्यक्तिगत प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसमें महिला हिंसा की रोकथाम हो तथा महिलाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके, इस हेतु आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को महिलाओ के अधिकार व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की एवं महिला कानून की सही एवं पूर्ण जानकारी दी जावे। जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले व कार्यकर्ता भी जागरूक होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके। अतः आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 11 खण्ड XV के क्रम में जिला स्तर पर महिला जागरूकता शिविर भी लगाये जाते है।

इसी दिशा में राज्य महिला आयोग ने विधिक सेवा प्राधिकरण तथा यूनीसेफ के सहयोग से जिला प्रशासन, जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारीगण व स्वयंसेवी संगठनों

के माध्यम से आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 में श्रीगंगानगर (11.04.08), पाली (04.07.08), जोधपुर (21.08.08), जालौर (14.05.08) हनुमानगढ (22.08.08), करौली (26.02.09) में जिला स्तरीय महिला जागरूकता शिविर आयोजित किये गये। इस शिविर में फील्ड़ स्तरीय महिला कार्यकर्ताओं जैसे प्रचेता, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधि, महिला डेस्क की महिला पुलिस प्रतिनिधि, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि आदि को महिला कानूनों के विषय में जागरूक किया गया ताकि वे अपने–अपने क्षेत्रों में महिला अधिकारों व कानूनी संरक्षण हेतु बेहतर कार्य कर सकें।

शिविर में संदर्भ व्यक्ति के रूप में जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारी, आयोग की अध्यक्ष व सदस्यगण तथा समाज सेवियों द्वारा भागीदारी की जाती है। शिविर में सत्रवार चर्चा, चेतना गीत, नाटक तथा सामूहिक चर्चा के द्वारा फील्ड़ स्तरीय महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुॅचा सके।

3.2 परिवार परामर्श केन्द्र

आधुनिक सामाजिक जटिलताओं के कारण मानव सम्बन्धों की प्रकृति और स्वरूप में परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मकेन्द्रित व स्वार्थी दृष्टिकोण तथा पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर उच्च अपेक्षाओं ने लोगों की शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई बार 'सामान्य' माने जाने वाले व्यक्ति का भी भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक स्तर पर स्वरूप मानवीय सम्बन्धों में नवीन प्रकार की विषमताएँ व तनाव उत्पन्न कर देता है। समाज का कोई भी वर्ग इस प्रकार की सामाजिक व भावनात्मक समस्याओं से अछूता नहीं है, विशेषरूप से महिलाओं की स्थिति वर्तमान सन्दर्भो में अधिक जटिल व विषम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में महिला अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह नहीं समझ पाती कि उसे क्या व किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस कारण उसे समय पर उचित न्याय नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार की समस्याओं के निदान में परामर्श की भूमिका एवं महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि से राहत दिलवाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस दिशा में पहल करते हुए महिलाओं की समस्याओं के निदान हेतु UNFPA तथा चिकित्सा (ग्रप–5) विभाग की IPD परियोजना के अन्तर्गत आयोग कार्यालय परिसर में सितम्बर 2004 में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई। वर्तमान में यह केन्द्र UNFPA एवं NRHM के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

परिवार परामर्श केन्द्र में पीड़ित महिलाओं के भावनात्मक व व्यवहारात्मक पक्ष के साथ–साथ कानूनी पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए समय पर उचित परामर्श एवं उपचारात्मक सहायता द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में स्वस्थ समायोजन एवं गुणात्मकता बनाए रखने की दिशा में कार्य किया जाता है तथा परिवारों के विघटन को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। इस केन्द्र द्वारा आयोग में आने वाली पीड़ित व जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता भी उपलब्ध करवायी जाती है।

वर्ष 2008–09 में परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा कुल 492 मामलों में पीडिताओं को परामर्श दिया गया। इन मामलों में पति द्वारा पीड़िता का परित्याग, दहेज प्रताड़ना, पति व पत्नी में मत भिन्नता, बलात्कार, अभद्रता, मारपीट, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, भरण–पोषण, द्विविवाह, नाता–प्रथा व अपहरण जैसे अनेक मामले प्राप्त हुए जिनमें उत्पीडन की प्रकृति के अनुसार परिवादिया को उचित परामर्श दिया गया।

3.3 परिवार परामर्श समन्वय केन्द्र

राजस्थान राज्य महिला आयोग में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए) के तत्वाधान में प्रदेश भर में कार्य कर रहे परिवार परामर्श केन्द्रों व महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ''लिंगाधारित हिंसा के मुद्दों पर विचारण हेतु परिवार परामर्श केन्द्रों के सुदृढीकरण की परियोजना '' अल्पावधि परियोजना प्रारम्भ की गई। यह परियोजना माह अप्रैल, 2007 से जून 2008 तक संचालित की गई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में कार्य कर रहे परिवार परामर्श केन्द्रों, महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों तथा पुलिस परामर्श केन्द्रों को आयोग से जोड़ना रहा ताकि आयोग महिला मुद्दों पर कार्य कर रही संस्थाओं के साथ समन्वय की भूमिका निभा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं का ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसके जरिये सूचनाओं के आदान–प्रदान के साथ साथ इन संस्थाओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जा सके ताकि पीड़ित महिलाओं को सहायता उनकी क्षेत्रीय पहुंच के भीतर ही उपलब्ध कराई जा सके।

परियोजना के उद्देश्य :–

1. प्रदेश भर में महिला मुद्दों पर परिवार परामर्श केन्द्र के रूप में कार्य कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की पहचान करना तथा आंकडे एकत्र करना।

2. राजस्थान के सभी जिलो में कार्य कर रहे परिवार परामर्श केन्द्रों व महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों का नेटवर्क तैयार करना जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके।
3. सभी परिवार परामर्श केन्द्रों व महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों में कार्य कर रहे परामर्शदाताओं के परामर्श कौशल एवं क्षमतावर्धन हेतु परामर्शन प्रशिक्षण कार्यशालाऐं आयोजित करना।
4. आयोग तथा प्रदेश भर में कार्य कर रहे परिवार परामर्श केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा संस्थाओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना ताकि वे और भी अधिक प्रभावी ढंग से महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य कर सके।
5. परिवार परामर्श केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग, महिला अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) के सहयोग से लिंगाधारित हिंसा से जुडे मुद्दों पर जनता को जाग्रत करना।
6. समय समय पर आयोग के अधिकारियों व समन्वयक द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों तथा महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर केन्द्रों को तकनीकी सहयोग व सहायता उपलब्ध कराना।
7. परिवार परामर्श केन्द्रों में समन्वय हेतु अनुभव सहभागिता कार्यशालाऐं आयोजित करना।

परियोजना के तहत् आयोजित कार्यशालाऐं

वर्ष 2008–09 में इस परियोजना के तहत ''परिवार परामर्श केन्द्रों में समन्वय की प्रगति एवम् अनुभव सहभागिता हेतु दिनांक 17.04.08, 19.05.08 व 20.05.08 को तीन कार्यशालाऐं आयोग में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में आयोग के अधिकारीगण, महिला अधिकारिता व उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिलों से पधारे प्रतिभागियों ने अपने अनुभव बांटे। इन कार्यशालाओं में निम्न सत्रों का समावेश किया गया।

- महिला मुद्दों पर सामाजिक सरोकार के लिए परिवार परामर्श केन्द्रों के प्रयास
- महिला हिंसा की रोकथाम के लिए समुदाय का हस्तक्षेप
- अल्पावास गृहों की संभावित व्यवस्था
- परामर्शदाताओं के परामर्श कौशल में वृद्धि की समीक्षा
- परिवार परामर्श केन्द्रों के सफल प्रकरणों पर चर्चा
- महिलाओं के अधिकारियों व उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी

राज्य में बढती महिला हिंसा की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए इस प्रभावी व समन्वित पहल से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए है :–

- परिवार परामर्श केन्द्रों के कार्यों की एकरूपता के मध्यनजर इनमें आपसी समन्वय होना चाहिये। इस हेतु जिला स्तर पर संचालित सभी केन्द्रों के परामर्शदाताओं की बैठक होनी चाहिये।
- जब कोई प्रकरण किसी एक संस्था में विचाराधीन हो तब इस स्थिति में अन्य संस्था को सीधे कार्यवाही न कर पहली संस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रकरण के समाधान में सहयोग करना चाहिये।
- महिला उत्पीडन व हिंसा में निरन्तर वृद्धि के कारण ब्लॉक स्तर पर भी ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहिये।
- घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में परिवार परामर्श केन्द्रों को दक्ष व अनुभवी सेवा प्रदाता के रूप में तैयार किया जाए।
- परामर्श केन्द्रों के साथ–साथ जहां आवश्यकता हो, अल्पावास गृह भी संचालित किए जाने चाहिये।
- परिवार परामर्श केन्द्रों के कार्यों के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
- राज्य स्तर पर इन केन्द्रों का सतत प्रबोधन, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, आपसी समन्वय एवं संवाद राज्य महिला आयोग के मार्गदर्शन में सतत होता रहना चाहिये ताकि यह केन्द्र और अधिक ऊर्जा व प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें व राज्य में महिला प्रताड़ना की दर को कम किया जा सके।

परियोजना की समाप्ति पर परियोजना से संबंधित निम्न प्रतिवेदन तैयार किए गए :–

- जैण्डर आधारित हिंसा के मुद्दों पर परिवार परामर्श केन्द्रों के सुदृढीकरण की परियोजना (2007–2008) एक प्रतिवेदन।
- जैण्डर आधारित हिंसा के मुद्दों पर परिवार परामर्श केन्द्रों के प्रमुख सफल प्रकरण
- निर्देशिका

परियोजना से प्राप्त परिणाम (अप्रैल 2007 से जून 2008 तक)

1. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से यह परियोजना 15 माह तक संचालित हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर के समस्त जिलों में संचालित

किये जा रहे परिवार परामर्श केन्द्र जिनका पूर्व में एक दूसरे के साथ कोई समन्वय नहीं था वे अब एक दूसरे की कार्यप्रणाली को जानने का प्रयास कर रहे है तथा एक दूसरे की सहायता हेतु तैयार रहते है।

2. राज्य भर में संचालित किये जा रहे परिवार परामर्श केन्द्रों के नाम व पता तथा संपर्क करने हेतु दूरभाष नं. की एक सूची तैयार कर ली गई हैं।
3. आयोग द्वारा आयोजित किये गये परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम से परामर्शदाताओं के परामर्शन कौशल में वृद्धि हुई है। परियोजना के अच्छे परिणामों में यह भी शामिल है कि अब पीड़िता को अपनी क्षेत्रीय पहुंच के भीतर ही सहायता मिल पाती है जिससे उसका समय व खर्च की बचत होती हैं।

3.4 व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को समन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनो पक्षकारों की सुनवाई व समझाईश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीडन, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाईश के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीडित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2008–09 में कुल 135 मामले दर्ज हुए जिनकी त्वरित गति से सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों की समझाईश की गई और 57 मामलों को आयोग ने सक्रियता से निस्तारण करने में सफलता प्राप्त की और पीडिता को न्याय दिलवाया। 78 मामलों में नियमित सुनवाई द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आयोग त्वरित कार्यवाही कर रहा है।

3.5 शिकायत शाखा

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन,

राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में वर्ष 2008–09 में कुल 1194 मामले पंजीकृत हुए जिनमें बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, दहेज प्रताडना, हत्या, भरण–पोषण, द्विविवाह, भूमि विवाद व कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मामले प्रमुख थे। पंजीकृत मामलों में से 617 प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर पीड़िता को न्याय दिलवाया गया तथा 577 मामले अभी कार्यवाही में है जिनमें निरन्तर निगरानी की जा रही है और पत्र व्यवहार द्वारा अधिकारियों को अतिशीघ्र पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए समय–समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

अध्याय – 4 कार्यशाला व सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण व उनके उत्थान तथा महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संगठनों तथा समाज के बुद्धिजीवि वर्ग के साथ अलग–अलग विषयों पर चर्चा हेतु तथा महिला कल्याण के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु समय–समय पर सेमिनार, कार्यशाला व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

1. महिला मुद्दों पर शोध कार्य हेतु महिला अध्ययन केन्द्रों के निदेशको के साथ एक दिवसीय गोष्ठी – (दिनांक :– 29 अप्रैल, 2008, स्थान :– समिति कक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग)

गोष्ठी का उद्देश्य :– राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के अन्तर्गत उल्लेखित कार्यों के अनुसार राज्य महिला आयोग महिला उत्थान व सशक्तीकरण के हर पहलू पर कार्य करता है, जिसके अन्तर्गत महिला उत्पीडन की रोकथाम, महिला संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन व सुधार हेतु सरकार को अनुशंषा प्रेषित करना प्रमुख कार्य है। इसी क्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर महिला आयोग की भूमिका के संदर्भ में महिला मुद्दों पर शोध कार्य कराना, शिक्षा संबंधी अनुसंधान का दायित्व, राज्य स्तर पर महिला के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन सहित आंकडो का व्यापक अधिकोष संधारित करना, उन्हें अद्यतन करना व आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों व महिला समर्थक अध्ययन आदि के लिए आंकडे उपलब्ध कराना आयोग के प्राथमिक दायित्वों में सम्मिलित है।

दिनांक 29 अप्रैल, 08 को आयोग कार्यालय में महिला अध्ययन केन्द्रों के निदेशको के साथ एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में चर्चा के मुख्य बिन्दु थे –

1. आयोग अधिनियम के अनुसार महिला मुद्दों पर शोध कार्य की महत्ता व आवश्यकता पर जोर देना।
2. विश्वविद्यालयों में संचालित महिला अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से शोधार्थियों को आयोग से जोड़ना।

3. महिला अध्ययन केन्द्रों द्वारा पूर्व में संपादित महिला मुद्दों पर शोध कार्य पर चर्चा।
4. आयोग द्वारा प्रस्तावित महिलाओं से जुडे ज्वलंत मुद्दों पर शोध कार्य करने पर चर्चा।
5. आयोग व महिला अध्ययन केन्द्रों के संयुक्त तत्वाधान में कार्य करने की प्रक्रिया व संभावित प्रावधानों पर चर्चा।

गोष्ठी में विश्वविद्यालयों व आयोग से निम्न संभागियों ने भाग लिया –

संभागी :–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रो. आशा कौशिक
सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रो. विजय लक्ष्मी चौहान
जयनारायण व्यास, विश्वविद्यालय, जोधपुर	डॉ. पूनम बावा
बिट्स पिलानी, झुन्झुनू	डॉ. निरूपमा प्रकाश

आयोग अधिकारी

सदस्य सचिव	: श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव
उप सचिव	: श्रीमती रश्मि गुप्ता
रजिस्ट्रार	: श्रीमती कुसुम भण्डारी
समन्वयक (यूनिसेफ)	: सुश्री स्मिता शर्मा
परामर्शदाता	: डॉ. प्रीतकमल, डॉ. हनुमान प्रसाद सिंहल
समन्वयक (यू.एन.एफ.पी.ए.)	: श्रीमती प्रियंका फौजदार

चर्चा के विशिष्ट बिन्दु :– चर्चा में महिला अध्ययन केन्द्र व आयोग के कार्यो की जानकारी के साथ ऐसे कई सुझाव व बिन्दु सामने आए जो महिला मुद्दों पर शोध कार्य को बढावा देने में सहयोगी हो सकते है यथा –

1. महिलाओं सम्बन्धी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर शोध कार्य।
2. विभिन्न शैक्षणिक व शोधसंस्थाओं के साथ नेटवर्किंग।
3. महाविद्यालयों व सामाजिक विज्ञान संकाय महिला आधारित शोधकार्यों का दस्तावेजीकरण व प्रकाशन।
4. आयोग स्तर पर महिला मुद्दों पर शोध रिपोर्ट, समेकित आंकडो व प्रगति रिपोर्ट का संग्रहण व शोध केन्द्र के रूप में संचालन।

5. Gender Sensitization कार्यक्रमों को विश्वविधालयी विषयों में शामिल किया जाना।
6. राजस्थान राज्य महिला आयोग व महिला अध्ययन केन्द्रों के बीच निरन्तर संपर्क।
7. विभिन्न शोध संस्थानों जैसे कि TRI. Udaipur, IGPRS Jaipur, वनस्थली विधापीठ आदि के साथ जुडाव।
8. राज्य महिला आयोग स्तर पर एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित करना जो महिला मुद्दों पर शोध कार्य की नियमित चर्चा व समीक्षा करे।
9. महिला अधिकारिता विभाग के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण सम्बन्धित गतिविधियों का क्रियान्वयन।

गोष्ठी में उभरे अनुशंषा व प्रस्ताव

1. Dissertation, Research Projects, Study Oriented Project व Post Doctoral Research के माध्यम से शोधार्थियों के साथ महिला मुद्दों पर शोध कार्य किया जावें।
2. Research papers, Journals आदि के माध्यम से आयोग इन शोध कार्यों को प्रकाशित कर शोधार्थियो को बढावा देवें।
3. आयोग द्वारा समस्त शोध संस्थाओं को पत्र लिखकर महिला मुद्दों पर किये गये शोध, Articles आदि मंगाये जायेंगें व Research Center के रूप में आयोग में संग्रहीत कर शोधार्थियों को उपलब्ध कराये जाऐं।
4. राज्य स्तर पर सलाहकारी समिति का गठन किया जावे।

समय–समय पर गोष्ठियों, सम्मेलनों, सेमिनार आदि के आयोजन के माध्यम से इन शोध कार्यों की समीक्षा कर विचारो का आदान–प्रदान किया जावे।

2. **दिनांक 7.8.08 को साथिन से पूछो कार्यशाला का आयोजन :–** निवेदिता सेवा संस्थान के साथ कार्यशाला रविन्द्र नाथ टेगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन जिला महिला विकास अभिकरण उदयपुर के सहयोग से जिले की समस्त साथिनों को इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी ने ''**साथिन से पूछो**'' पुस्तक का विमोचन किया तथा जननी सुरक्षा भामाशाह योजना तथा विभिन्न महिला कल्याणकारी योजना पर चर्चा की।

कार्यशाला में खुला मंच का आयोजन किया गया, जिसमें साथिनों ने अपने विचार दिये और कार्यक्षेत्र में महिलाओं को हो रही समस्या के संदर्भ में चर्चा की गई।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी ने साथिन मंजू जोशी को दस हजार रूपये नकद सहायतार्थ देने की घोषणा की।

3. आदिवासी व जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के अधिकार व कानूनी प्रावधान पर एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला

राजस्थान राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ व सेवामन्दिर संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 8 अगस्त 2008 को ''आदिवासी व जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के अधिकार व कानूनी संरक्षण विषय पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन सेवा मन्दिर संस्थान उदयपुर के सेमीनार कक्ष में किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य

1. आदिवासी व जनजाति क्षेत्र में विवाह संबंधी रस्मों व रीति रिवाजों को समझना।
2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के परिपेक्ष्य में इन प्रथा संबंधी नियमों की समीक्षा कर आदिवासी व जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को राहत पहुंचाने पर चर्चा करना।

सत्र :–

- कार्यक्रम को मुख्य रूप से तीन सत्रों में विभाजित किया गया।
- उद्घाटन सत्र में कार्यशाला के उद्देश्यों तथा विभिन्न संदर्भ व्यक्तियों द्वारा उद्बोधन दिया गया।
- द्वितीय सत्र में समस्त संभागियों को चार समूहों में विभाजित कर आदिवासी क्षेत्र के विवाह नियमों (यथा नाता प्रथा आदि पर चर्चा) को लिपिबद्ध करने का कार्य दिया गया।
- संभागियों द्वारा चार्ट पर इन्हें लिखकर समूह वार प्रस्तुत किया गया।

मुख्य निष्कर्ष :– कार्यशाला में निम्नलिखित सुझाव आये जिन पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है :–

1. आदिवासी व जनजाति क्षेत्र की महिलाओं की वैवाहिक स्थिति व अधिकारों पर एक वृहत्त शोध कार्य कराया जावें।
2. आदिवासियों से संबंधित वैवाहिक कानूनों की पुनः समीक्षा की जावें।

3. इस समीक्षा के पश्चात आदिवासी महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अनुशंषाऐं सरकार को प्रेषित की जावें।
4. आदिवासियों की जातिगत प्रथाओं व रीति रिवाजों की प्रासंगिकता व कानूनी परिप्रेक्ष में उनकी समीक्षा की जावें।

अध्याय – 5 आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई अनुशंषाऐं एवं अन्य मुख्य गतिविधियां

अनुशंषाऐं

1. राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 01.10. 2008 द्वारा राजस्थान राज्य सरकार को अनुशंषा की गई कि राजस्थान राज्य में महिला कर्मचारी के लिए केन्द्र सरकार की भांति 180 दिन का प्रसूति अवकाश व बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्ष की अवकाश की सुविधा प्रदान की जावें और उसे सेवा नियमों में सम्मिलित किया जावे। आयोग की अनुशंषा पर राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में महिला कर्मचारियों को केन्द्र की भांति सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी किये गये।
2. महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने हेतु अतिरिक्ति निदेशक, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग को अनुशंषा दी गई।

अन्य मुख्य गतिविधियां

राजस्थान राज्य महिला आयोग के तीन सदस्यीय दल द्वारा वर्ष 2008–09 में केरल महिला आयोग का अध्ययन भ्रमण किया गया।

1. परिचय :– भारत के विभिन्न राज्यों में गठित राज्य महिला आयोगों में से आयोग की शक्तियों तथा आयोग की संरचना के अनुसार केरल महिला आयोग सबसे अधिक सशक्त है। केरल महिला आयोग के कार्यक्षेत्र व शक्तियों के आधार पर उनके प्रभावी कार्य के अध्ययन हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा केरल के महिला आयोग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के अध्ययन का निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग व यूनीसेफ, राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में तीन सदस्यीय दल द्वारा दिनांक 16.03.2009 से 20.03.2009 तक 5 दिवसीय भ्रमण किया गया। भ्रमण दल में निम्न सदस्य शामिल थे :–

1. श्रीमती सुधा जाजोरिया, सदस्य, राज्य महिला आयोग।
2. श्रीमती द्रोपदी मलिक, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग।
3. श्रीमती शिखा वाधवा, कार्यक्रम प्रबन्धक, यूनीसेफ।

2. उद्देश्य :– इस अध्ययन भ्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य थे :–

1. केरल महिला आयोग की संरचना व कार्यक्षेत्र का अध्ययन।
2. केरल में संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं का अध्ययन।
3. अध्ययन दल की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनुशंषाऐं सरकार को प्रेषित करना।

3. अध्ययन भ्रमण विवरण

(अ) केरल महिला आयोग (दिनांक 16–17 मार्च, 2009) :– अध्ययन दल द्वारा दिनांक 16 व 17 मार्च 2009 को केरल महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व अधिकारियों के साथ प्रथम बैठक की गई। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :–

केरल महिला आयोग

क्र.सं.	पद	नाम
1	अध्यक्ष	जस्टिस डी. श्रीदेवी
2	सदस्य	टी. देवी
3	सदस्य	प्रो. मीनाक्षी थम्पन
4	सदस्य	पी.के. सैनबा
5	सदस्य	रूकमणी भास्करन
6	सदस्य सचिव	वी.पी. रामचन्द्रन (राज्य सरकार सेवा)
7	निदेशक	आई.पी.एस. पुलिस विभाग अधिकारी
	अध्ययन दल	
8	सदस्य सचिव	श्रीमती द्रोपदी मलिक
9	सदस्य	श्रीमती सुधा जाजोरिया
10	कार्यक्रम प्रबन्धक	श्रीमती शिखा वाधवा

बैठक के दौरान सदस्य सचिव से केरल महिला आयोग अधिनियम व नियमों की जानकारी प्राप्त की गई। आयोग के कार्यक्षेत्र, शक्तियां व संगठन के अतिरिक्त उन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई जो केरल महिला आयोग को राजस्थान राज्य महिला आयोग से अधिक शक्तिशाली व प्रभावी बनाती है। ये इस प्रकार है :–

1. केरल महिला आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है जबकि राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का है।
2. महिला उत्पीड़न के परिवादों की जांच के लिए केरल महिला आयोग मे पृथक जांच ऐजेन्सी है जिसके मुख्य अधिकारी निदेशक जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है जिनके अधीनस्थ एक पूरा पुलिस स्टाफ कार्यरत है। ये पुलिस जांच केन्द्र केरल राज्य महिला आयोग के अधीन कार्यरत है जिसके फलस्वरूप केरल महिला आयोग महिलाओं पर होने वाले उत्पीडन

की जांचों के लिए जिला पुलिस अधीक्षक पर निर्भर न होकर निष्पक्ष जांच आयोग अपने स्वयं के अधीनस्थ कार्यरत पुलिस जांच केन्द्र के माध्यम से करवा सकता है। इसी के साथ अपने निष्कर्ष व आगे की कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को अनुशंषाऐं भेज सकता है। इस प्रकार की कार्यवाही तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी है।

3. केरल महिला आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केबिनेट मंत्री का है। जिन्हें मानदेय के रूप में 20,000/– रूपये मासिक दिया जाता है तथा सदस्य का दर्जा उप विधानसभा अध्यक्ष (Deputy Speaker) का है जिन्हें 15,000/– रूपये मासिक मानदेय दिया जाता है। यह दर्जा उनके अध्यक्ष व सदस्यों को तुलनात्मक रूप से अधिक सशक्त बनाता है।
4. केरल महिला आयोग में निदेशक (Director) IPS कैडर का तथा सदस्य सचिव IAS कैडर के नियुक्त किये गये है।

केरल महिला आयोग का संस्थात्मक संरचना

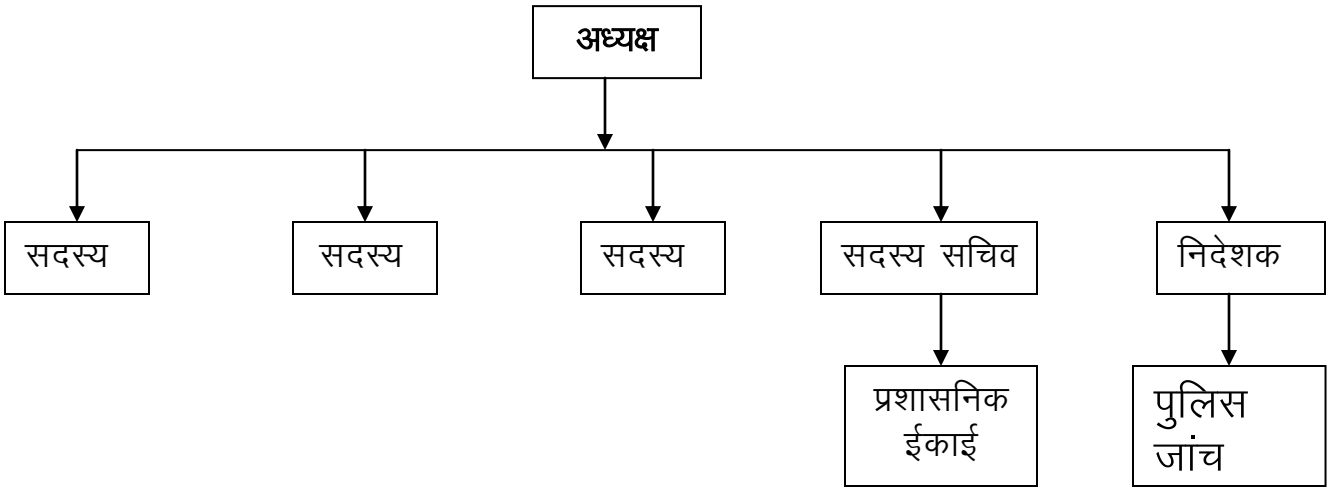

इसमें अतिरिक्त केरल महिला आयोग द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के समान समस्त कार्य किये जाते है। एक्ट में उल्लेखित एक्ट अनुसार दोनों आयोगों के कार्यक्षेत्र भी लगभग समान है। जिसमें मुख्य कार्य निम्नलिखित है :–

कार्यक्षेत्र

1. महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दों पर अन्याय की स्थिति में जांच करना तथा उसके तुरन्त समाधान हेतु सरकार को सुझाव प्रेषित करना।
2. राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. महिला सशक्तिकण के संदर्भ में सरकार को अनुशंषाऍं प्रेषित करना।

4. महिलाओं को समान अधिकार व अवसर उपलब्ध कराने हेतु योजनाऐं बनाना तथा सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना।
5. महिला मुद्दों पर डाटा बैंक तैयार करना।
6. सरकार को महिला अधिकारों व समानता हेतु विभिन्न कानून व विधियों की अनुशंषा प्रेषित करना।
7. महिला मुद्दों पर शोध कार्यों को बढावा देना।

अध्ययन दल द्वारा यह पाया गया कि केरल महिला आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई को अदालत की सुनवाई के समान ही संचालित किया जाता है जो अधिक प्रभावशाली व सुव्यवस्थित पाई गई। जिसके लिए आयोग द्वारा ग्रासरूट स्तर तक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई गई है।

केरल में विभिन्न स्तरों यथा वार्ड, पंचायत, ब्लॉक, नगरपालिका, जिला स्तर पर जागृता समितियां बनाई गई है जिनमें महिलाऐं परिवाद कर सकती है। सर्वप्रथम इन परिवादों की सुनवाई इन जागृता समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर की जाती है। इस दौरान परिवाद का निस्तारण नहीं हो पाने की स्थिति में आयोग स्तर पर सुनवाई की जाती है।

ये जागृता समितियां पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है जिसमें जनप्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी/कर्मचारी सदस्य है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग के समान केरल महिला आयोग द्वारा भी महिला जागरूकता संबंधी कार्य किये जाते है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ :– इससे संबंधित योजनाएँ पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत संचालित की जाती है। केरल सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं में मुख्य रूप से प्रभावी योजना है :– कुडुम्बश्री, जो स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, केरल सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अध्ययन दल की कुडुम्बश्री के निदेशक, श्रीमती शारदा मुरलीधरन (IAS) तथा PRO श्री पार्वती देवी से हुई चर्चा के दौरान इस योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। इस योजना का मुख्य वितरण निम्न प्रकार है :–

परिचय :– केरल सरकार द्वारा भारत सरकार व नाबार्ड के सहयोग से वर्ष 1998 में राज्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में कुडुम्बश्री की शुरूआत की गई। जिसका कार्यकाल 10 वर्ष के लिए था। इस कार्यक्रम का मुख्य स्लोगन है :–

"Reaching out families through Women and reaching out to community through families."

वर्तमान में 36 लाख महिलाऐं कुडुम्बश्री के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण में भागीदारी कर रही है।

संरचना

कार्यक्रम में प्रभावी पहुंच बनाने हेतु तीन स्तरीय समुदाय आधारित संगठन (CBO) कार्यरत है।

1. Neighbourhood (NHG) जिसमें 20–40 महिलाऐं जो आर्थिक रूप से पिछडी हुई है को शामिल किया जाता है जिसमें गरीबी उन्मूलन संबंधी Micro Plan तैयार किये जाते है।
2. स्थानीय विकास समिति (Area Development Society, ADS) यह समिति सभी NHGs के साथ समन्वयक करती है जिसमें सभी NHG की एक–एक सदस्य शामिल होती है।
3. समुदाय विकास समिति (Community Development Society, CDS) यह पंचायत/पालिका स्तर पर पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करती है।

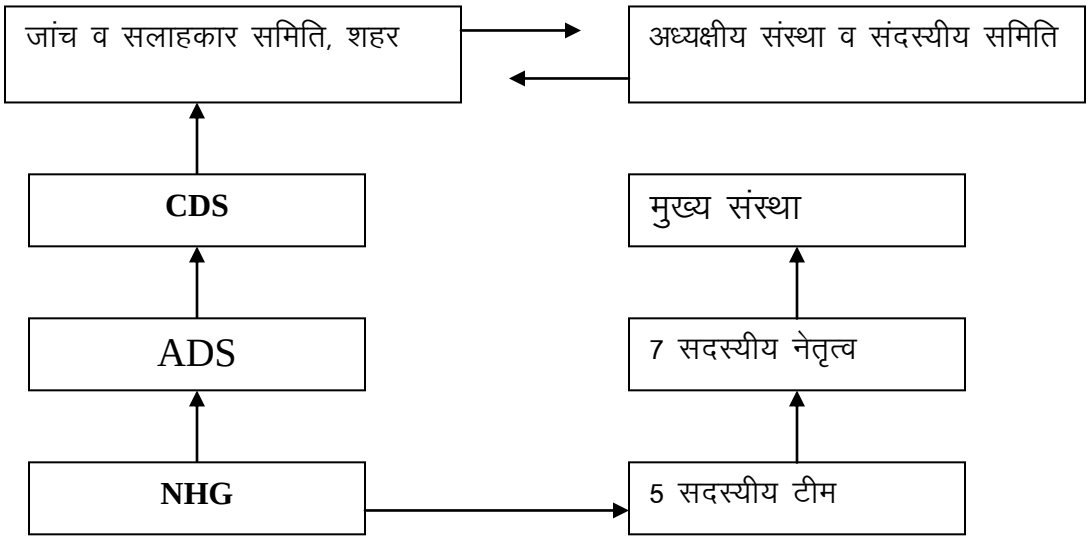

(कुडुम्बश्री संरचना)

कुदुम्बश्री के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है :–

1. **स्थानीय आर्थिक विकास** :– इसके अन्तर्गत कुडुम्बश्री के माध्यम से माइक्रो एन्टर प्राइजेज विकास को बढावा दिया गया है। इसमें IT (सूचना व प्रौधोगिकी) संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें प्रबंधन के मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है जिसमें उत्पादन, वित्त, मार्केटिंग आदि शामिल है।

अध्ययन दल द्वारा ऐसे एक IT सेन्टर की भी विजिट/भ्रमण किया गया।

इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिताश्री (भूमि संबंधी उत्पादन) ग्रामीण माइक्रो एन्टरप्राईजेज, स्थानीय उत्पादन मार्केटिंग नेटवर्किंग, (समग्र) तथा सन्थावनम, (स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम) संचालित किये जा रहे है। इसमें मुख्य रूप में अमृतम योजना शामिल है जो भोजन व पोषण संबंधी खाद्य पदार्थो को बनाती है। जिन्हें न्यूट्रीमिक्स (Nutrimix) कहा जाता है। इन Nutrimix को राज्य के 150+ICDS ब्लॉक में वितरित किया जाता है। वर्तमान में कुडुम्बश्री के 560 ग्रुप इस पर कार्य कर रहे है।

2. **शहरी विकास** :– शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से झुग्गी झोपडियों (Slum) में घर की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं विकास कार्यक्रम (NSDP) संचालित किया जा रहा है। केरल में कुडुम्बश्री इस कार्यक्रम के संचालन हेतु ''नोडल ऐजेन्सी'' के रूप में कार्य कर रही है। जिसके अन्तर्गत 26,000 घरों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के लिए भी

कुडुम्बश्री ही नोडल ऐजेन्सी के रूप के कार्य कर रही है। जिसके अन्तर्गत 12791 घरों का निर्माण राज्य में किया गया है।

2.1 कैटरींग एन्टरप्राइजेज :– जिसमें कुडुम्बश्री द्वारा कैन्टीन संचालित किये जाते है। वर्तमान में राज्य के बोर्ड, विभाग तथा कार्यालयों में सैकड़ों कैन्टीन यूनिट संचालित है।

2.2 अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन (Solid waste Manggement) बढते शहरीकरण के दौर में केरल में वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुडुम्बश्री के अन्तर्गत ''Clean Kerala Business'' कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुडुम्बश्री की CBOS की महिलाऐं शहरी स्थानीय निकायों के साथ जुडकर घरेलू अपशिष्ट पदार्थ का प्रबन्धन करती है जिनमें वे 3000/– से 5000/– रू. मासिक आय कमा रही है।

2.3 विभिन्न संबंधी समूह (Multi purpose jop clubs) इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्य यथा बिजली, पलम्बिंग, लकडी का कार्य, बागबानी, पेन्टिंग आदि के संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर व्यावसायिक महिलाओं के समूह तैयार किये गये है जो शहरी क्षेत्र में कार्यरत है।

2.4 सूचना व प्रौद्यौगिकी कार्यक्रम (IT, interventions) शहरी क्षेत्र में कुडुम्बश्री के माध्यम से डाटा प्रोसेसिंग यूनिट (Data processing unit) का कार्य 1999 में शुरू किया गया जो 14 जिलों में कार्यरत है। इनमें NHG की 10 महिलाओं को जो कम से कम 10+2 शेक्षणिक योग्यता रखती है को कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। जिनके पश्चात ये महिलाऐं Data processing, सोफ्टवेयर

निर्माण, वेबसाइट डिजाइन व मरम्मत में इन यूनिट को और अधिक विकसित किये जाने की योजना है।

3. **माइक्रो फाइनेंनसिंग तथा बैंको से जुडाव** :– गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बचत के महत्व को समझते हुए माइक्रो फाइनेंनसिंग का कार्य शुरू किया गया। इसमें कुडुम्बश्री के माध्यम से NHG के स्तर पर Thrift & Credit के द्वारा गरीब महिलाओं को बचत से जोडा गया है। इसके साथ ही ये अनौपचारिक बैंको के रूप में कार्य कर रही है जो गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करती है।

वर्तमान में 106190 NHGs को नाबार्ड बैंक लिंकेज कार्यक्रम में जोडा गया है जो 461.81 करोड़ के फंड का प्रयोग कर रही है।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता :– अध्ययन दल द्वारा दिनांक 19.03.2009 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग तथा इसके अन्तर्गत संचालित ''समेकित बाल विकास योजना (ICDS)'' का अध्ययन किया गया। इसमें विभाग के संयुक्त कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती के. फीलामीना तथा बाल विकास अधिकारी, श्रीमती चित्रलेखा द्वारा ICDS सेन्टरकी विजिट कराई गई। इस सेन्टर में समस्त साधन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध थी। इसमें कुडुम्बरी द्वारा निर्मित न्यूट्रीमिक्स का वितरण बच्चों को किया जा रहा था। साथ ही गर्म भोजन की भी व्यवस्था थी। बच्चों के

टीकाकरण हेतु डाक्टर तथा नर्स सही समय पर उपस्थित थे। अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि आंगनबाडी कार्यकर्ता व सहयोगिन पर्याप्त रूप से जागरूक है।

इसके साथ ही Juvenile special care home की भी विजिट की गई जो Juvenile Justice Act. के अन्तर्गत संचालित है।

तत्पश्चात दिनांक 20 मार्च 09 को अध्ययन दल द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ बैठक की गई जिसमें केरल के जिला योजना (District plan) कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की गई। केरल में कानून के 73 वें और 74 वें संशोधन पश्चात विकास की सभी शक्तियां व कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जा चुके है। इसमें मुख्य रूप से यह शामिल किया गया है कि जिला योजना तथा राज्य योजना के निर्माण समय 10 प्रतिशत बजट पूर्ण रूप से महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों हेतु पृथक रूप से प्रदान किया जाना है।

<u>पूर्णकालीन अन्तिम बैठक</u> :– दिनांक 20 मार्च 2009 को अध्ययन दल की केरल महिला आयोग के साथ पूर्णकालीन सारांश बैठक (Councluding Meeting) की गई जिसमें केरल महिला आयोग के अध्यक्ष व निदेशक उपस्थित थे। इस बैठक में समस्त कार्यक्रमों व विजिट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अध्यक्ष, केरल महिला आयोग ने आयोग में प्राप्त

मुख्य समस्याओं तथा परिवादों के प्रकारों पर चर्चा की। यह पाया गया कि केरल में शिक्षा का उच्च स्तर है तथा बाल विवाह की समस्या नहीं है परन्तु यौन उत्पीडन, महिलाओं व बालिकाओं के ट्रेफिकिंग आदि की समस्याऐं है जिसके लिए आयोग विधिक व कानूनी जानकारी व अधिकारों की जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का संचालन करता है।

तत्पश्चात धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया तथा इस अध्ययन भ्रमण में केरल महिला आयोग का आभार प्रकट किया गया।

अनुशंषाऐं :–

1. महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग के अधीनस्थ भी एक स्वतंत्र जांच ऐजेन्सी, जो एक IPS अधिकारी के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच होनी चाहिये।
2. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों का दर्जा भी केरल महिला आयोग की तरह होना चाहिये।
3. महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की विभिन्न योजनाऐं व बजट का भी अलग प्रावधान होना चाहिये।

अध्याय – 6 आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग द्वारा वर्ष 2008–2009 में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ऐसे निस्तारित प्रकरणों में से सफलतम कुछ प्रकरणों का विवरण पात्रों के नाम परिवर्तित करते हुए (काल्पनिक नाम) निम्न प्रकार दिया गया है।

1. रूदाली का विवाह 10 साल पहले सनी से हुआ था। पति सनी व सास गीता ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। रूदाली के दो पुत्र हैं और वह ससुराल में ही रहना चाहती है। प्रार्थीया की शिकायत पर दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग में बुलाकर समझाईश की गई। आयोग की समझाईश के बाद प्रार्थीया के पति सनी ने सशपथ बयान देकर आश्वस्त किया कि वह भविष्य में पत्नी के साथ मारपीट नहीं करेगा और उसके साथ सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेगा। इस पर आयोग ने दोनों पति–पत्नी को सुखद दाम्पत्य के लिए साथ–साथ भेज दिया।
2. श्रीमती रमा ने शिकायत की कि उसके पति दिनेश उसे शारीरिक व मानसिक प्रताडना देते हैं। प्रार्थीया की शिकायत पर पति–पत्नी को आयोग में बुलाकर समझाईश की गई। लगभग 6 माह की समझाईश के बाद दोनों पक्षों की आपसी शिकायत दूर हो गई और वर्तमान में दोनों पति–पत्नी सामन्जस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
3. आयशा ने शिकायत की कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए मारपीट व अत्याचार करते हैं। पति केशव अपनी मॉ व परिवारजनों के उकसावे में आकर अकारण मारपीट करते है। शिकायत पर उभय पक्षकारन् को आयोग में बुलाकर सुनवाई की। आयोग के प्रयासों से दोनों पति–पत्नी के बीच राजीनामा हो गया और दोनों साथ रहने को सहमत हो गये। दोनों की गृहस्थी सही चल रही है।
4. कविता ने अपने पति मोहन के विरूद्ध शिकायत की कि वह घर पर खाने–पीने का सामान नहीं लाता है व शराब पीकर मारपीट करता है। दोनों पति–पत्नी को सुनवाई के लिए आयोग में बुलवाया गया। समझाईश के कुछ दिन बाद कविता ने बतलाया कि पति अब घर पर खाने–पीने का सामान लाने लगा है। कविता ने प्रार्थना–पत्र दिया कि पति अब परेशान नहीं करता है और वह शिकायत वापस लेती है।
5. प्रार्थीया अनुराधा ने पति के खिलाफ शिकायत की कि वह शराब पीकर मारपीट करते है और देवता आने का नाटक करते है व चरित्र पर लांछन लगाते है। शिकायत पर दोनों पति व पत्नी को बुलाकर समझाईश की गई। दोनों पति–पत्नी शान्तिपूर्वक साथ–साथ रहने लगे। दोनों को आपस में अब शिकायत नहीं है।
6. करिश्मा ने आयोग में शिकायत की कि 10 वर्ष पहले बनवारी से उसकी शादी हुई। जिसमें एक

लडका व एक लडकी है। अप्रार्थी पति 2 वर्ष से दहेज के लिए परेशान कर रहा है और जान से मारने की धमकी देते है। अप्रार्थी पति बच्चों से तथा पत्नी से बातचीत भी नहीं करते है। भरपेट खाना नहीं देते तथा कपडे भी लाकर नहीं देते है। प्रार्थीया की शिकायत पर उभय पक्षकारान् को बुलाकर समझाया गया। आयोग की समझाईश पर पति–पत्नी के बीच साथ रहने का समझौता हो गया और आपसी शिकायत भी दूर हो गई। अप्रार्थी पति बनवारी ने आयोग को आश्वस्त किया कि वह पत्नी करिश्मा के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार नहीं करेगा।

7. श्रीमती शान्ति देवी ने शिकायत की कि उसकी शादी 10 साल पूर्व अमर के साथ हुई जिनसे दो बच्चे व एक बच्ची है। देवर, सास व ससुर पति को भडकाकर मारपीट करवाते है और स्वयं भी मारपीट करते है। पिछले दिनों पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया और बच्चों को अपने पास रख लिया। दोनों पक्षकारान् को बुलाकर समझाईश की गई। प्रार्थीनी की अपने देवर के साथ कहासुनी हो जाने से वह अपने तीनों बच्चों को ससुराल में छोडकर पीहर आ गई थी। सभी पक्षों को आयोग ने एक साथ बिठाकर आपसी समझाईश की गई। आयोग की समझाईश के बाद प्रार्थीया अपने पति के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से रहने लगी और इस तरह इनकी गृहस्थी बसाई गई।

8. प्रार्थीनी सरोज के इकलौता पुत्र प्रदीप है। जिसकी पत्नी करीना झगडालू है जिसका चाल–चलन सही नहीं है। प्रार्थीनी की शिकायत पर उभय पक्षकारान् को बुलाकर समझाईश की गई। सास–बहू व पुत्र के बीच छोट–छोटे मुद्दों को लेकर अनबन रहती थी, जिसके कारण परिवार की शान्ति भंग हो रही थी। मकान की सीढियां अलग से बाहरी ओर से निकलवाने के आदेश पारित करने पर दोनों पक्ष सहमत हो गये और अब परिवार में शान्ति है।

अध्याय – 7 आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2008–09 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 01 अप्रैल, 08 से 31 मार्च, 09 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्रकोष्ठ	प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
जनसुनवाई	306	128	178
व्यक्तिगतसुनवाई	135	57	78
शिकायत शाखा	1194	617	577
कुल योग	**1635**	**802**	**833**

तीनों प्रकोष्ठों में प्राप्त प्रकरणों का पृथक–पृथक विवरण अग्र प्रकार है :–

अप्रेल 2008 से मार्च 2009 तक जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की सूची

जिले का नाम	कुल प्रकरण	अपहरण		दहेज से संबंधित क्रूरता		हत्या		दहेज हत्या		बलात्कार		धमकी		द्विविवाह		भरण–पोषण भत्ता		हत्या का प्रयास		हिंसा		पेंशन		भूमि विवाद, सम्पत्ति विवाद		कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न		स्थानांतरण नौकरी		यौन उत्पीड़न		अन्य		सु. मातृत्व के अन्तर्गत जननी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य		निस्तारित प्रकरण	शेष प्रकरण
	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	20
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
श्रीगंगानगर 10.04.2008	35	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	14	14	3	3	0	0	0	0	0	0	8	6	1	1	29	6
जालौर 13.05.2008	80	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	14	5	26	26	2	1	2	0	1	1	0	0	23	3	0	0	41	39
पाली 02.07.2008	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	6	3	0	0	4	0	16	16	2	2	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	24	14
जोधपुर 20.08.2008	51	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	1	0	0	9	3	10	10	4	1	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	21	30
बाड़मेर 27.08.2008	61	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	14	0	3	3	15	2	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	5	56
करौली 25.03.09	41	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	4	0	0	0	5	0	8	8	2	0	1	0	5	0	0	0	9	0	0	0	8	33
	306																																			128	178

कुल प्रकरण	निस्तारित	कार्यवाही में
306	**128**	**178**

आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई शाखा में प्राप्त प्रकरणों का जिलेवार विवरण

दिनांक 01–04–2008 से 31–03–2009

जिले का नाम	कुल प्रकरण	अपहरण	दहेज से संबंधित क्रूरता	हत्या	दहेज हत्या	बलात्कार	धमकी	द्विविवाह	भरण पोषण भत्ता	हत्या का प्रयास	हिंसा	पेंशन	भूमि विवाद, सम्पत्ति विवाद	कार्य स्थल पर योन उत्पीड़न	स्थानान्तरण नौकरी	अन्य द्वारा यौन उत्पीड़न	अन्य	निस्तारित प्रकरण	कार्यवाही में
अजमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अलवर	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2	2
भरतपुर	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बूंदी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बीकानेर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
बाड़मेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कोटा	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
करौली	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	2
सवाईमाधोपुर	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
टोंक	11	–	5	–	–	–	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	5	6
बांरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झालावाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सीकर	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2
धौलपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जयपुर	80	–	11	–	–	–	1	1	8	–	56	–	1	–	–	–	2	36	44
दौसा	6	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	1	5
जोधपुर	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
जैसलमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागौर	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	1	2
पाली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
उदयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
राजसमन्द	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
श्रीगंगानगर	5	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	3	2
झुन्झुनूं	5	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3	2
चूरू	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	4	–
डूंगरपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सिरोही	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	3
भीलवाड़ा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
हनुमानगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जालौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रतापगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
यौग	**135**	**–**	**25**	**–**	**–**	**–**	**3**	**1**	**14**	**–**	**81**	**–**	**6**	**1**	**–**	**–**	**4**	**57**	**78**

शिकायत शाखा के अन्तर्गत 01 अप्रेल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक प्राप्त परिवादों के निस्तारण का विवरण

जिले का नाम	कुल प्रकरण	अपहरण	दहेज से संबंधित क्रूरता	हत्या	दहेज हत्या	बलात्कार	धमकी	द्विविवाह	भरण पोषण भत्ता	हत्या का प्रयास	हिंसा	पेंशन	भूमि विवाद संपत्ति विवाद	कार्य स्थल पर योन उत्पीड़न	स्थानान्तरण नौकरी	अन्य द्वारा यौन उत्पीड़न	अन्य	निस्तारित प्रकरण		चालू वर्ष के कार्यवाही में
																		विगत वर्षो के	चालू वर्ष के	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16	17	18	19	20	21
अजमेर	32	1	6	0	2	3	2	0	0	0	8	1	4	0	0	0	5	0	17	15
अलवर	46	2	8	0	5	8	0	0	0	0	14	0	4	0	0	0	5	12	21	25
भरतपुर	60	2	11	2	2	8	0	1	1	0	26	2	3	0	0	0	2	10	27	33
बून्दी	33	3	7	2	2	3	0	0	0	0	9	0	5	0	0	0	2	5	22	11
बीकानेर	21	0	6	1	1	4	2	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	4	10	11
बाड़मेर	28	1	10	1	0	1	4	0	0	0	7	1	2	0	0	0	1	6	13	15
बांसवाड़ा	7	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4	3
कोटा	24	3	9	1	0	2	1	0	0	0	5	0	1	0	0	1	1	0	19	5
करोली	26	1	5	0	1	6	1	0	1	0	8	0	2	0	0	0	1	12	9	17
सवाई माधोपुर	36	2	7	2	3	4	1	0	0	0	13	0	2	0	0	0	2	7	24	12
टोंक	38	0	4	0	1	5	1	0	0	0	17	0	10	0	0	0	0	19	21	17
बारां	13	0	2	0	0	3	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	4	8	5
झालावाड़	60	5	15	1	0	6	0	0	1	0	16	0	11	0	0	0	5	0	41	19
सीकर	44	0	9	3	4	1	3	0	0	0	20	0	1	0	0	0	3	15	24	20
धौलपुर	10	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	4	5	5
जयपुर	256	7	43	9	8	13	15	1	0	0	112	1	20	2	0	5	20	56	103	153
दौसा	44	1	9	1	2	3	1	0	0	0	23	0	2	0	0	0	2	16	21	23
जोधपुर	28	1	4	2	1	4	0	0	1	0	7	0	2	0	0	1	5	0	14	14
जैसलमेर	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4	2
नागौर	39	3	10	0	2	6	0	0	2	0	9	0	5	0	0	0	2	9	19	20
पाली	43	4	8	1	4	3	0	0	0	0	14	3	3	0	0	0	3	8	26	17
उदयपुर	16	2	4	1	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	7	6	10
राजसमन्द	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	2
श्रीगंगानगर	21	0	6	0	1	2	1	0	0	0	3	0	6	0	0	1	1	8	14	7
झुन्झुनू	33	2	7	1	4	3	0	0	0	0	9	0	4	0	0	1	2	9	18	15
चूरू	27	0	4	1	5	3	1	0	0	0	7	0	3	0	0	0	3	2	17	10
डूंगरपुर	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	1	4
सिरोही	51	3	8	6	2	4	2	0	0	0	13	0	5	2	0	0	6	20	22	29
भीलवाड़ा	30	2	8	1	0	2	0	0	0	0	7	0	4	0	0	2	4	4	16	14
हनुमानगढ़	21	0	5	1	1	1	0	0	0	0	8	1	2	0	0	0	2	6	15	6
चित्तौड़गढ़	20	0	6	0	3	1	1	0	0	0	5	0	2	0	1	0	1	7	11	9
जालौर	38	3	14	0	4	1	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	3	8	28	10
प्रतापगढ़	8	0	1	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	5	3
अन्य	22	0	9	2	4	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	1	1	6	16
कुल प्रकरण	1194	50	251	41	65	105	40	3	8	0	397	10	117	4	1	12	90	267	617	577
																	योग	884		

आयोग के कार्य

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

(7) राज्य महिला आयोग महिला अधिकारिता विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति (राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च, 2000 को घोषित महिला नीति) के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है ।

(8) राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण के लिए अपने कार्यक्षेत्र को निम्प्रकार बांट कर कार्य करता है :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से सुरक्षित मातृत्व इकाई का संचालन किया जा रहा है।

महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा यूनीसेफ के वित्तीय सहयोग से विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ।

राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के सफल संचालन व प्रकरणों के निस्तारण के दौरान यह महसूस हुआ कि महिला सशक्तीकरण हेतु व्यक्तिगत प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसमें महिला हिंसा की रोकथाम हो तथा महिलाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके, इस हेतु आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को महिलाओ के अधिकार व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की एवं महिला कानून की सही एवं पूर्ण जानकारी दी जावे। जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले व कार्यकर्ता भी जागरूक होकर बेहतर ढंग से कार्य कर सके। अतः आयोग द्वारा जिला स्तर पर महिला जागरूकता शिविर भी लगाये जाते है।

उचित परामर्श एवं उपचारात्मक सहायता द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में स्वस्थ समायोजन एवं गुणात्मकता बनाये रखने की दिशा में कार्य करने तथा परिवारों के विघटन को भी रोकने के प्रयास हेतु यू.एन.एफ.पी.ए. तथा चिकित्सा (ग्रुप–5) विभाग की आई.पी.डी. परियोजना के अन्तर्गत आयोग कार्यालय परिसर में सितम्बर 2004 में परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना कर कार्य किया जा रहा है ।

राज्य महिला आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई प्रकोष्ठ के माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को समन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनो पक्षकारों की सुनवाई व समझाईश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है।

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।